न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री रत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 79/2025

अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 ज्ञानचन्द जाति जाट निवासी वार्ड नं0 4, 7 ई छोटी केदार कॉलोनी, 4 एम. एल. श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर । **प्रार्थी**

बनाम्

1. हरबंश पुत्र स्व0 ज्ञानचन्द जाति जाट निवासी गोविन्दगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ।
2. परमेश्वरी पत्नी स्व० ज्ञानचन्द जाति जाट निवासी गोविन्दगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ।
3. संतरो पुत्री स्व० ज्ञानचन्द पत्नी पूर्णराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
4. कमला पुत्री स्व० ज्ञानचन्द पत्नी जसवंत जाति जाट निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
5. राजु पुत्री स्व० ज्ञानचन्द पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी दोदेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ।
6. परमजीत उर्फ राणी पुत्री स्व० ज्ञानचन्द पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी 45 एल. एल. डबल्यू तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
7. प्रियकां माता रूकमा पत्नी संदीप जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
8. मोनिका मातां रूकमा पत्नी संदीप जाति जाट निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री रतन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जेपी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि चकनं0 11 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 94/35 में संयुक्त खाता में अंकित कुल 7.5370 है० कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1,3 ता 6 के पिता, अप्रार्थीया संख्या 2 के पति, अप्रार्थीगण सं0 7 व 8 के नाना, ज्ञानचन्द का 1500/7537 हिस्सा तथा चकनं0 10 एजी के खाता सं0 30/36 में संयुक्त खाता में अंकित कुल 1.468 है० आराजी मे ज्ञानचन्द का 1/3 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1, 3 ता 6 के पिता, अप्रार्थीया सं0 2 के पति, अप्रार्थीगण सं0 7 व 8 के नाना, ज्ञानचन्द व अप्रार्थीगण सं0 7 व 8 की माता रूकमा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारीसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण ही जो रिकार्ड पर है प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता में प्रार्थी के पिता ज्ञानचन्द के नाम से दर्ज है तथा ज्ञानचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। ज्ञानचन्द के स्वर्गवास के बाद उनके खर्च के समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रिश्तेदारो व परिवार

सदस्यों की मौजूदगी में प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज ज्ञानचन्द के हिस्सा की आराजी का आपस में बटवारां हो गया था व बटवारां मे अप्रार्थीगण सं0 3 ता 6 जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की बहिने है तथा अप्रार्थीया सं0 2 की पुत्रीयॉ है उन्होने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में ब०हि०ब० कर दिया था तथा व अप्रार्थीगण सं0 7 व 8 ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था । ज्ञानचन्द के नाम से दर्ज प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे अंकित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रार्थी बटवारां के अनुसार अपनी 1/3 हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज ज्ञानचन्द के नाम की आराजी में से प्रार्थी के 1/3 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से दर्ज नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज दोनो चकों में अंकित ज्ञानचन्द के नाम की आराजी में से प्रार्थी 1/3 हिस्सा की आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 के पिता व पति, स्व० ज्ञानचन्द के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है लेकिन अप्रार्थीया सं0 2 जो कि एक वृद्व आरत ह तथा अप्रार्थी सं0 1 के बहकावे में है तथा अप्रार्थी सं0 1 जो कि स्व० ज्ञानसिह की समस्त आराजी को हड़प करना चाहता है व प्रार्थी को उक्त सम्पति से महरूम करना चाहता है । अप्रार्थी सं० 1 व 2 जो कि स्व० ज्ञानसिंह के नाम की आराजी को को किसी भी फर्जी व कूचरचित दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में करवाने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण अपने इस गलत व विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं० 1 व 2, प्रार्थी के हिस्सा की 1/3 हिस्सा की आराजी के कब्जा से बेदखल कर देगें व प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा आइन्दा मुकदमा बाजी बढेगी । अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जावे कि चकनं0 11 आर.डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 94/35 में संयुक्त खाता में अंकित कुल 7.5370 है० कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी में ज्ञानचन्द के 1500/7537 हिस्सा तथा चकनं0 10 एजी के खाता सं0 30/36 में संयुक्त खाता में

अंकित कुल 1.468 है० आराजी मे ज्ञानचन्द का 1/3 हिस्सा आराजी को अप्रार्थीगण किसी फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त व आधिपत्य में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने व राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **प्रार्थना पत्र** की चरण स० 1 में अंकित कथन कि उक्त अनवान सदर का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के कथन स्वीकार है, परन्तु प्रार्थी के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है । प्रार्थना पत्र की चरण स. 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है, जो कि रिकार्ड की हद तक स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की चरण स० 3 वंशावली से सम्बंधित है, स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अंकित कथन कि दफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में प्रार्थी के पिता ज्ञान चंद के नाम से दर्ज है तथा ज्ञान चंद का स्वर्गवास हो चुका है, स्वीकार है । शेष अंकित समस्त तथ्य मिथ्या एंव मनगढन्त दर्ज होने के कारण अस्वीकार है । इस धारा में अंकित कथन कि "ज्ञान चंद के स्वर्गवास के बाद उनके खर्च के समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रिश्तेदारान व परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज ज्ञानचंद के हिस्सा की आराजी का आपस में बंटवारा हो गया था व बंटवारा में अप्रार्थीगण स0 3 ता 6 जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी स० 1 की बहिने है तथा अप्रार्थीया स० 2 की पुत्रीयां है उन्होनें अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 के पक्ष में ब०हि०ब० कर दिया था" झुठी व मनगढ़न्त दर्ज किया है जो पुरजोर से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ना तो अन्तिम संस्कार पर गया और ना ही वह 12 दिन की शौक तक कभी बैठक की व ना ही पिता के खर्च के समय आया और ना ही अप्रार्थी स० 3 ता 6 व अप्रार्थी स० 7 ता 8 ने प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण स० 1 व 2 के पक्ष में कोई मौखिक रूप से हक त्याग किया। इस धारा में अंकित कथन कि "ज्ञानचंद के नाम से दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थी बंटवारा के अनुसार अपनी 1/3 हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकमराज अदा करता चला आ रहा है, का कथन मिथ्या एंव मनगढ़न्त दर्ज किया है। स्व० ज्ञानचन्द के नाम अंकित प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी एंव अप्रार्थी स० 1 ता 6 प्रत्येक मात्र 1/8 हिस्सा के व अप्रार्थी स० 7 ता 8 प्रत्येक का 1ध्16 हिस्सा के अधिकारी व खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपना अपना रकमराज अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि में

1/3 हिस्सा का अधिकारी नहीं होकर मात्र अपने 1/8 हिस्सा का अधिकारी है । प्रार्थना पत्र की चरण स० 5 में वर्णित समस्त तथ्य मिथ्या एंव मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार है जब प्रार्थी एंव अप्रार्थी स० 1 ता 6 प्रत्येक मात्र 1/8 हिस्सा के व अप्रार्थी स० 7 ता 8 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा के ही खातेदार काश्तकार है तो यह प्रश्न ही पैदा ही नहीं होता कि वह 1/3 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार हो व भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो । प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है बल्कि विरासतन नामांतकरण अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने से अप्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण विरासतन हिस्सा अनुसार नामांतकरण दर्ज करवाने के अधिकारी है। कानूनन भी विरास्तन इन्तकाल खातेदार की मृत्यु उपरान्त रिक्त नहीं रह सकता व सभी वारिसान के नाम हिस्सा अनुसार दर्ज होना होता है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित यह कथन कि "प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में स्व. ज्ञानचंद के नाम से दर्ज है " कथन सत्य होने से स्वीकार है । इस धारा में वर्णित शेष समस्त कथन मिथ्या, मनगढ़न्त व बिल्कुल निराधार अंकित किये गये होने से अस्वीकार है। इस धारा में अंकित कथन कि प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है, को कथने झुठो मनगढ़न्त व काल्पनिक है । प्रार्थी एंव अप्रार्थी स० 1 ता 6 प्रत्येक मात्र 1/8 हिस्सा के व अप्रार्थी स० 7 ता 8 प्रत्येक का 1ध16 हिस्सा विरासत हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार है । इस धारा में अंकित कथन कि अप्रार्थी स० 2 जो कि एक वृद्व औरत है तथा अप्रार्थी स0 1 के बहकावे में है तथा अप्रार्थी स० 1 जो कि स्व० ज्ञानचंद की समस्त आराजी को हड़प करना चाहता है व प्रार्थी को उक्त सम्पति से महरूम करना चाहता है, का कथन बिल्कुल निराधार व मिथ्या अंकित किया गया है। अप्रार्थी स0 2 के नाम वर्तमान में कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि हड़पने का सवाल ही पैदा नहीं होता । भूमि स्व० ज्ञान चंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण स्व० ज्ञान चंद के विधिक वारिसान होने के कारण विरासतन हिस्सा अनुसार नामांतकरण दर्ज करवाना चाहते है जो काननन क्षणार्थीगण का अधिकार है। इस धारा में अंकित कथन कि अप्रार्थीगण स 1 व 2 जो कि स्व० ज्ञानचंद की आराजी को किसी भी फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवाने पर आमदा है, का कथन झुठा अंकित किया है, अगर ऐसा कोई कूटरचित दस्तावेज होता तो प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करता व क्या दस्तावेज है, उसको डिस्क्लोज करता। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक रूप से तंग परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की उक्त दफा में वर्णित यह कथन कि मुझ प्रार्थी को अप्रार्थीगण स० 1 व 2, प्रार्थी की हिस्सा की 1/3 हिस्सा की आराजी के

कब्जा से बेदखल कर देगे, कथन झुठे व मनगढ़न्त दर्ज किये है क्योकि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण अपने–अपने विरासतन हिस्सा अनुसार भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि प्रार्थी 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हो । प्रार्थी मात्र 1/8 हिस्सा भूमि का ही खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी की बजाए अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है क्योकि विरासतन इन्तकाल दर्ज न होने से अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर फसलाना ऋण लेने, पानी की बारी व अन्य वितीय सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है व प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में स्व0 ज्ञानचंद के नाम दर्ज वाद भूमि पर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता ज्ञानचंद फौत हो चुके है। चूंकि अप्रार्थीगण को मृतक पिता के नाम दर्ज भूमि का विरासतन नामांतरण दर्ज करवाना कानूनी अधिकार है। मृतक ज्ञानचंद के नाम भूमि दर्ज रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों के ही अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद भूमि में अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88 आरटीए न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचानुसार वाद भूमि अप्रार्थीगण के पिता मृतक ज्ञानचंद के नाम दर्ज रहने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू आंशिक रूप से प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण के पक्ष में भी साबित है। अतः न्यायालय के अभिमत में उपरोक्त वर्णित आराजी में ज्ञानचंद के जायज वारिसान के नाम विधिसवत् विरासतन नामान्तरण दर्ज करने व प्रार्थी के हकों की घोषणा तक वाद भूमि को रहन, बैय नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे चक 11 आरडब्ल्यूडी के खाता सं0 94/35, चक 10 आरजी के खाता सं0 30/36 में स्व0 ज्ञानसिंह के नाम दर्ज भूमि में नियमानुसार विरासतन

नामातंरण दर्ज करवाने के लिए स्वंतत्र है परन्तु ताफैसला वाद उपरोक्त वर्णित आराजी को रहन, बैय करने से निषेद्व रहे।

निर्णय आज दिनांक 19/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी
(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़